Reg No 177/2008-2009 ISSN: 2322–0317

PSSH PERSPECTIVE of SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

An International Multidisciplinary Refereed Research Journal

VOL 2, NO 2

JULY - DECEMBER 201

Biannual

Editor

Dr Hemant Kumar Singh

Assistant Professor

Economics Department

Madan Mohan Malviya PG College

Deoria (UP)

Publisher

Herambh Welfare Society

Varanasi (India)

भारत में खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान के उपाय

डॉ प्रवल प्रताप सिंह तोमर[1]

मनुष्य को अपने जीवनयापन के लिए जिन आधारभूत चीजों की जरूरत होती है, उसमें भोजन को अहम स्थान है। खाद्य पदार्थों के सेवन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। शरीर बिना भोजन के ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। मानव के साथ साथ प्रत्येक जीवधारी के लिए भोजन परम आवश्यक है। लेकिन आज दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भुखमरी का शिकार है। ऐसा खाद्य सुरक्षा की दिशा में उपयुक्त कानून के अभाव के कारण होता है।

खाद्यान्नों की महत्ता

रोटी, कपड़ा मकान प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं में से एक है। कम कपड़े एवं छत के बिना व्यक्ति का जीवन सम्भव है परन्तु भोजन के बिना जीना मुश्किल होता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य मुहैया कराने का दायित्व सरकार का है। अनेकों वार ऐसा भी होता है कि सरकारी प्रयास और मेहनत के बाद भी आम लोगों तक पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता जिसका प्रमुख कारण खाद्यान्नो के मूल्यों में बृद्धि है। पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो पाने के कारण समाज में गरीबी, भुखमरी, कुवोषण जैसी गम्भीर समस्यांए जन्म लेती है। पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चों का बजन कम तथा गर्भवती महिलाओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब जनता को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता तब उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास वाधित होने लगता है और वे अनेक प्रकार की सामाजिक–आर्थिक विसंगतियों के शिकार होने लगते हैं।

खाद्य सुरक्षा विधेयक

उभरती आर्थिक शक्ति होने के वाद भी भारत विश्व के उन देशों में शुमार है जहाँ कुपोषण अधिक है। हमारी सरकार भी मानती है कि देश में पाँच वर्ष से कम उम्र के कुल बच्चों में से लगभग आधे गम्भीर रूप से कुपोषित है। जर्मनी स्थित अर्न्तराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) से पूर्व 12 अक्टूबर 2012 को सातवाँ वार्षिक

[1] विभागाध्यक्ष (वाणिज्य), रामस्वरूप ग्राम उद्योग पी0जी0 महाविद्यालय, पुखरायाँ कानपुर देहात

वैश्विक भूख सूचकांक जो कि 79 देशों के लेकर तैयार किया गया जिसमें भारत 65वें पायदान पर है तथा खाद्य एवं कृषि संगठन थे कि संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है और भुखमरी समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है अक्टूबर 2012 को जारी यू0एन0हंगर रिपोर्ट स्टेट ऑफ फूड इन सिक्योरिटी इन वर्ल्ड 2012 के अनुसार 2010–12 में विश्व में दीर्घकालीन अल्पपोषितों की संख्या 870 मिलयन है जिसमें से 852 मिलियन विकासशील देशों में एवं 16 मिलियन विकसति देशों में है रिपोर्ट के अनुसार 2010–12 में 217 मिलियन (17.5 प्रतिशत) अल्पपोषित भारत में है। जोकि संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक है। अभी हाल में जारी एशियन हयूमनराइट कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण से मरते है जिसमें अधिकतर लड़कियां है तथा यूनिसेफ की रिपोर्ट 2011 के अनुसार 50प्रतिशत लड़कियां खून की कमी (एनीमियां) और 47 प्रतिशत में कम वजन देखने को मिला।

यह सब देखते हुए जहाँ विश्व ने कुपोषण, भुखमरी तथा गरीबी से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन, सम्मेलन एवं संयोष्ठियां विश्व स्तर पर आयोजित की जा रही है। इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013'' जिसे 26 अगस्त 2013 को लोक सभा में एवं 2 सितम्बर 2013 को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कराकर ऐतिहासिक पहल की है। यह पूरे भारत में 5 जुलाई 2013 की उसी तिथि में प्रभावी होगा जब यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ था। इसके लिए 1,25,000 करोड़ रू बजट में रखा गया। यह सरकारी सहायता वाला दुनिया का सबसे बड़ा बजट हे।

लाभार्थी व्यक्ति

इस योजना में समाज के उन लोगों कों शामिल किया गया है जो गरीबी रेखा के नीचे है और दूसरे सामान्य परिवार जो गरीबी रेखा के ऊपर है। जिसमें 75: ग्रामीणों को, और 46: बी0पी0एल0 परिवार के होगें, इसके अतिरिक्त 50: शहरी लोग, जिसमें 28: बी0पी0एल0 के होगें, जिनको बहुत ऊंची सब्सिडी वाली दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें चावल, गेहूं, मोटा अनाज, क्रमशाः 3,2,1, रूपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम तथा एक ग्रहस्थी को 25 किलोग्राम तथा अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आने वाले परिवारो को 35 कि0ग्रा0 अनाज पाने का अधिकार है। एक सरकारी अनुमान के अनुसार इस कानून से 6.12 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी। इस पर 1,24,724 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से खर्च होनें का अनुमान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 के प्रमुख प्रावधान

इस विधेयक का उद्देश्य देश की दो तिहाई आवादी को भारी सब्सिडी वाला खाद्यान्न, अधिकार के तौर पर प्रदान करना है। खाद्य सुरक्षा योजना को भूख से लड़ने के मामलों में दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस विधेयक में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है।

1. यह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होना है और पी.डी. एस का सामाजिक आडित किया जाना है।
2. 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र तक के बच्चों को आयु के अनुसार आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त आहार।
3. 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को छुट्टियों को छोड़कर प्रत्येक दिन दोपहर में एक वार मुफ्त योजना देना।
4. कुपोषित बच्चों को आगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्ट आहार देना।
5. विभिन्न व्यक्तियों को दिन में एक वार मुफ्त आहार देना।
6. वेघर लोगों को सामुदायिक रसोई से आहार देना।
7. विपदा और आपातकाल में दौरान पीड़ित व्यक्तियों को तीन महीने तक दिन में दो वार निःशुल्क भोजन देना।
8. गर्मवती महिलाओं को मुफ्त आहार देना।
9. प्रसूति सुविधाओं के लिए 6 महीने की अवधि में 6000/– रूपये की सहायता देना।
10. स्तनपान कराने वाली मांओ को एक अवधि तक मुफ्त आहार देना।
11. तीन साल के लिए प्रतिव्यक्ति की दर से प्रत्येक माह पॉच किलो अनाज देना जिसमें 3 रू0 किलो चावल, 2 रूपये किलो गेहूँ और एक रूपयें किलो मोटा अनाज दिया जाना है।
12. विधेयक के तहत प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
13. यह तीन साल तक निर्धारित है और वाद मं इसकी समीक्षा की जायेगी।
14. गरीब परिवारो की पहचान के कार्य में राज्य सरकारों को शामिल किया जायेगा।

हरित क्रान्ति के बाद भारत में खाद्यान्नों की उपलब्धता

समस्त जनसंख्या को खाद्य–सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के सन्दर्भ में जो परिकल्पना है वो इस प्रकार है। ''सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभाव से गरीब और बेशहारा लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी, हर नागरिक को पर्याप्त भोजन मिलेगा, भोजन के अधिकार से जीवन जीने का अधिकार मिलेगा।

भारत में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज में प्रवत्तियां

वर्ष	क्षेत्रफल (मिलियन हेक्टयर)	उत्पादन (मिलियन टन में)	उपज प्रति हेक्टेयर किलोग्राम

1950–51	97.7	50.8	522
1960–61	115.6	82.0	715
1970–71	125.1	108.4	875
1980–81	126.7	129.6	1024
1990–91	127.9	176.36	1390
2009–10	122.3	218.2	1801

स्रोत– प्रकाशन ग्रामीण विकास मन्त्रालय नई दिल्ली

इस प्रकार 1950–51 से 2009–10 के 6 दशकों में खाद्यान्न क्षेत्रफल में लगभग 25: की दृष्टि हुई है तथा उत्पादन में 1951 में 50.8 से 2010 में 218.2 मि0 टन अर्थात चार गुणा वृद्वि हुई है।

भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं उपलब्धता

वर्ष	जनसंख्या करोड़ में	खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता ग्राम में
1951	36.1	50.82	344.9
1961	43.9	82.02	468.7
1971	54.8	108.42	468.8
1981	68.3	129.59	454.8
1991	84.6	176.39	510.1
2001	102.0	196.81	416.2
2011	126.1	244.78	438.6

स्रोतः– आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग

इस प्रकार 1951 में जहाँ जनसंख्या 36.1 करोड़ थी तो 2011 में बड़कर 126.1 करोड़ हो गयी है खाद्यान्न उत्पादन 1951 में 50.82 मि0 टन था जो 2011 में बढ़कर 244.78 मि0 टन हो गया है। तथा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न 1951 में 294.9 ग्राम था ये 1951 में बढ़कर 510.1 ग्राम तथा 2011 में घटकर 438.6 ग्राम रह गया है। खाद्यान्न उपलब्धता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में कुपोषण के शिकार होते जा रहे है।

भारत में अर्थव्यवस्था एवं खाद्य की मांग में परिवर्तन का प्रक्षेपण

परिवर्तन	**पूर्व (1970–2010)**		**भविष्य– (2010–2050)**	
	परिवर्तन	**वृद्धि दर : में**	**परिवर्तन**	**वृद्धि दर : में**
जनसंख्या	2.19	1.98	1.37	0.78
सकल घरेलू उत्पाद	8.29	5.43	10.29	6.00
प्रतिव्यक्ति आय	3.60	3.25	7.29	5.18
कुल खाद्य	3.10	2.85	4.53	3.82
प्रति व्यक्ति खाद्य	1.41	0.87	3.32	3.04
वर्ष– 2001	**102.0**	**19.81**	**416.2**	

वर्ष– 2011	**126.1**	**244.78**	**438.6**	

स्रोतः– www.ncap.res.in

शोध अध्ययन के कुछ तथ्य

हरित क्रान्ति की रचना गेहूँ धान की प्रणालियों को मिलाकर रखाी गयी जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन के सफलता मिली।

1. कृषि में पूंजी निवेश का हिस्सा 2001–02 में 6.7: की तुलना में 2007–08 में 8.4: रहा वर्तमान में इसमें 30: की वृद्धि की गयी।
2. सकल पूंजी निर्माण के कृषि की हिस्सेदारी 2004–05 में 7.7: थी जो 2005–06 में 7.2: तथा वर्तमान में 4.8 : है।
3. 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारम्भ की गयी जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है।
4. मजदूर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 में काम के बदले अनाज योजना का शुभारम्भ किया जाता है।
5. ग्राम पंचायत स्तर पर वर्ष 2001 में खाद्यान्न संघ स्थापित किये गये।

समस्याएं

1) दूसरों को भोजन/अन्न देने वाला किसान स्वयं ऋण ग्रस्तता तथा ब्याज के वोझ के कारण आत्महत्या के दल–दल में फसता जा रहा है।
2) कहीं सूखा कहीं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदायें उत्पादकता को प्रभावित करते है, जलवायु परिवर्तन खाद्य संकट पैदा कर रहा है।
3) खेती योग्य जमीन का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है इसका कारण बढ़ता शहरीकरण और मशीन आधारित औद्योगिकीकरण है।
4) बढ़ते कृषि रसायनों के प्रयोग से भूमि के उपजाऊपन एवं उत्पादों की गुणवक्ता में कमी आ रही है।
5) खाद्य– प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान और दक्षता की कमी है। दुनिया के प्रसंस्करण खाद्य बाजार में भारत की हिस्सेदारी माल 1 से 1.5 : है।
6) कृषि उपजों के सुरक्षित भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है जिससे बाहर रखा अनाज खराब हो जाता है।
7) थोक एवं खुदरा बाजारों में कृषि जिंसों की कीमतें पिछले चार वर्षों में ऊंची रही है पर किसानों को खुदरा कीमतों का आधे से भी कम मिला है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के सुझाव

खाद्य पदार्थों के उत्पादन में साथ–साथ उसकी सुरक्षा भी काफी

महत्वपूर्ण है इस दिशा में सरकारी तन्त्र के माध्यम में देखभाल की व्यवस्था की गयी है फिर भी सुरक्षा के लिए अनेक उपाय बताये गये है। जो निम्न है।

1. किसानों को आसान शर्तों पर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना एवं उनको फसल बीमा अनिवार्य कराना होगा।
2. बंजर भूमि सुधार कार्यक्रमों द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ाबा देना।
3. उपजाऊ भूमि की सुरक्षा व बचाव के लिए पर्याप्त कानूनी उपाय किये जाने चाहिए। जिससे देश की खाद्यन्न की आत्मनिर्भता सुनिश्चित किया जा सके।
4. वन संरक्षण कानून की तर्ज पर कृषि भूमि संरक्षण कानून बनाये जाना चाहिए। जिससे देश की किसी भी क्षेत्र से उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सके।
5. अधिक उपज देने वाली किस्मों में सुधार एवं उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
6. वर्षा आधारित क्षेत्रों में संकर किस्मों को विकसित करना।
7. गेहूँ, धान, दलहन व तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैव प्रोद्योगिकी को बढ़ाया जाना चाहिए।
8. औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए बेकार एवं परती पड़ी भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए।
9. भूख मिटानें की जिम्मेदारी जिनकी हो उन्हे जिम्मेदारी न निभाने के लिए दण्डित किये जाने की प्रभावी व्यवस्था हो।
10. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न का आवंटन घर में उपभोक्ताओं की संख्या पर अधारित हो।
11. स्नेह, भोज, शादी, समारोह में प्रीति भोज के वाद बचे भोजन की बरवादी पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।
12. दुनिया में हर साल वर्वाद होने वाला खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचा लिया जाय तो 7 अरब की आवादी में कोई भूखा नहीं सोयेगा।
13. सरकार यदि मोटे अनाजों की बिक्री–खरीद भण्डारण का विकेन्द्रित नेटवर्क बनाये तो किसान इन अनाजों की खेती को बढ़ावा देगें और ये भोजन की थाली में जगह बना लेगें।
14. भोजन की समस्या के समाधान के लिए खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर देना होगा।
15. प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव पर कृषि मन्त्रालय इस वारें में एक स्कीम तैयार करेगा जिसके जरिये फसल की नई किस्में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होगी। जिसमें लौह युक्त बाजरा, प्रोटीन, युक्त मक्का व जिंक युक्त गेहूँ का विकास किया जायेगा।

निष्कर्ष

भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मानव विना कुछ खाए ज्यादा दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकता है। इसी बजह से सरकार का दायित्व है

कि लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराए। तमाम चुनौतियों के बीच सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य आसान नहीं है। सयुक्त राष्ट्र संद्य की एक रिपोर्ट के अनुरूप दुनिया की 85 करोड़ से अधिक आवादी भुखमरी व कुपोषण से ग्रस्त है। हम सब के लिए शर्म की बात है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा भूख से तड़प रहा है जबकि हम पहले से अधिक अनाज पैदा कर रहे है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ ही सरकार निवेश कर्ताओं व धनी वर्ग के लोगों को फिर से विचार करना होगा, सार्थक प्रयास करने होगें अपनी भूमिका को विस्तार देना होगा, पूरी संवेदनशीलता से, तभी हम सभी को खाद्य सुरक्षा दे पायेगें और ''भूख से मौत'' से हर किसी को बचा पायेगें

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था – जगदीश नारायण मिश्रा
2. भारतीय अर्थव्यवस्था – दत्त, सुन्दरम
3. भारतीय अर्थव्यवस्था – मिश्रा एवं पुरी
4. कुरूक्षेत्र – दिसम्बर 2013
5. योजना – दिसम्बर 2013
6. अमर उजाला – 15 अक्टूबर 2013
7. दैनिक जागरण – 16 अक्टूबर 2013
8. यू0एन. हगर रिपोर्ट – स्टेट आफ फूड सिक्योरिटी इन वर्ल्ड
9. अमर उजाला – 25 अगस्त 2013
10. दैनिक जागरण – 27 अगस्त 2013
11. हिन्दुस्तान – 3 सितम्बर 2013
12. दैनिक जागरण – 3 सितम्बर 2013
13. दैनिक आज – 3 सितम्बर 2013
14. अमर उजाला – 3 सितम्बर 2013
15. प्रकाशन विभाग ग्रामीण विभाग – नई दिल्ली
16. आर्थिक एवं सांख्कीय निदेशालय
17. कृषि एवं सहकारिता विभाग
18. www.NCAP.res.in